## न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी ) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 06 / 24

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| नैनाराम पुत्र श्री हंसारामजी माली जाति माली पेशा खेती निवासी गोयली तहसील व जिला सिरोही (राज.) व अन्य | | 1. शान्तिलाल पुत्र नथमलजी घांची जाति घांची पेशा मेडीकल व्यव –साय निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील दार साहेब सिरोही तहसील व जिला सिरोही (राज.)। |

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री ऋषि माथुर
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान वकील श्री नरपतसिंह देवडा
3. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार सिरोही

" रा.प्रा.प.अ. धारा 251(क) की उपधारा (1) राज. अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

### आदेश

दिनांक 10.02.2025

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 2 तक के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 26.12.2023 को प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके संयुक्त खातेदारान के खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम माडंवा पटवार हल्का गोल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.) में आई हुई हैं जिसके खाता संख्या 213 खसरा संख्या 648 रकबा 01.8100 हैक्टेयर हैं। पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान के संयुक्त खातेदारी और कब्जे काश्त रही है। प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान उक्त भूमि पर पिछले कई वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे है।

लगातार.....2

प्रार्थी ने आगे निवेदन किया कि उसके खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रेकर्डेड रास्ता अंकित नही है जिससे प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान उनके खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में अंकित कृषि भूमि खसरा संख्या 932/645, 938/685, 936/687 और राजकीय बिलानामा बंजर भूमि खसरा संख्या 690 की भूमि में से गुजरने वाले कदीमी रास्ते (संलग्न नक्शे में वर्णित A to B रास्ते से) पिछले कई वर्षो से आते जाते रहे है और उक्त A to B रास्ते का उपभोग कई वर्षो से करते आ रहे है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भाग रास्ते के रूप में अंकित नही होने से प्रार्थी व उनके संयुक्त काश्तकारो को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु कई बार समस्याओ का सामना करना पडता है, प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान गरीब काश्तकार व्यक्ति है जिनके पुरे परिवार का भरण पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान को अपने खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने, फसल बोने, जोतने हेतु ट्रेक्टर एवम् बैलगाडी लाने ले जाने हेतु कोई रास्ता नक्शे मे अंकित नहीं हैं लेकिन प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान खसरा संख्या 932/645, 938/685, 936/687 और राजकीय बिलानाम भूमि खसरा संख्या 690 की भूमि में आवागमन करते है लेकिन उक्त भाग राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 एक के खातेदारी में अंकित होने से कई बार परेशानीयो का भी सामना करना पडता है। प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान को खसरा संख्या 932/645, 938/685, 936/687 और राजकीय बिलानाम भूमि खसरा संख्या 690 की भूमि पर से आसानी से रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता हैं जिसे संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में मार्क A to B से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये मार्क A to B वाले हिस्से को प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान के लिए रास्ते हेतु उपलब्ध कराया जाता हैं तो प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु और काश्त करने जाने हेतु आसानी से रास्ता मिल जावेगा। उक्त रास्ते के जरिये प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान अपनी आराजी पर ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, पशुओं को भी आसानी से ला ले जा सकेगें। रास्ते के अभाव में प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान कई बार अपनी आराजी पर नहीं पहुँच पाते हैं जिससे उनकी फसले जल जाती हैं और पशुओं को भी कई बार पानी चारे के अभाव में राते गुजारनी पडती हैं इसी कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। उक्त रास्ता कायम किये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि को भी कोई नुकसान नहीं होगा, अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी यथावत रूप में रहेगी, इसके अलावा भी प्रार्थी के उक्त भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते का और कोई

**लगातार.....3**

विकल्प भी नही हैं। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर रकम जमा करवाने हेतु तैयार है अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 एक के खातेदारी की कृषि भुमि खसरा नम्बरान 932/645, 938/685, 936/687 और राजकीय बिलानाम भूमि खसरा संख्या 690 मे से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार स्थित 15 फिट चौडा रास्ता कायम किया जा सकता है। बाद जांच राजस्व रेकर्ड में 15 फिट चौडा और मौके अनुसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता अंकित किए जाने के आदेश पारित करना फरमावें। इसके लिए प्रार्थी राज्य सरकार को नियमानुसार शुल्क भी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 213 खसरा संख्या 648 की जमाबन्दी संवत 2073 से 2076, अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बरान कमशः 932/645, 938/685 936/687 की जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 राजकीय बिलानाम भूमि खसरा संख्या 690 की जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 आस पडोस की कृषि भूमि को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस, प्रार्थी व उनके संयुक्त खातेदारान की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु दर्शाते हुए रास्ते की भूमि का नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 04.01.2024 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 03.07.2024 को अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 एक की ओर से अधिवक्ता नरपतसिंह देवडा ने वकालातनामा पेश किया जिसे पत्रावली में शामिल मिशल किया।

विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिए कमांक/रीडर/विधि/581 दिनांक 07.08.2024 जवाब पेश किया जिसे दिनांक 20.08.2024 को पत्रावली मे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे यह कथन किया की ग्राम माडंवा पटवार हल्का गोल में खसरा संख्या 648 रकबा 01.8100 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी और संयुक्त खातेदारान की संयुक्त कृषि भूमि है। जवाब में आगे यह कथन किया गया कि प्रार्थी के लिए उनके खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 648 मे आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड (नक्शा) में कोई रेकर्डेड रास्ता अंकित नही है एंव मौका जांच दिनांक 29.06.2024 अनुसार सबसे न्युनतम दुरी का प्रस्तावित रास्ता मौजा माण्डवा के खसरा संख्या 692 (गैर मुमकीन रेकर्डेड रास्ते) से खसरा नम्बर 690 (बिलानाम भूमि) खसरा नम्बरान 932/645, 938/685, 936/687 मे से चौडाई 5 मीटर व

**लगातार.....4**

कुल लम्बाई 268 मीटर का रास्ता मौका व नक्शा नाप अनुसार नक्शे मे लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है। मौका जांच व उपस्थित प्रार्थी एंव संयुक्त खातेदार तथा मौतबिरान द्वारा ने खेत ख.न. 648 मे इसी प्रस्तावित स्थल से अस्थाई तौर पर खेती कार्य हेतु आना जाना करते रहना बताया हैं ऐसी स्थिति मे प्रार्थी एंव संयुक्त खातेदारो के खेत मे आने जाने का पास में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रस्तावित रास्ता समुचित है। क्षैत्रफल गणनानुसार प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल खसरा संख्या 690 मे से लम्बाई × चौडाई = 60 × 5 = 300 वर्ग मीटर ( बिलानाम भूमि मे से ) खसरा संख्या 936/687 मे से 55 × 5 = 275 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 938/685 मे से 3 × 5 = 15 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 932/645 मे से 150 × 5 = 750 वर्ग मीटर अर्थात कुल क्षैत्रफल = 300 वर्ग मीटर (बिलानाम ) + 1040 ( श्री शान्तिलाल पुत्र नथमलजी घांची निवासी सिरोही की खातेदारी भूमि ) = 1340 वर्ग मीटर = 0.1340 हेक्टेयर भूमि आती है उक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में उक्त गै.मु.रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 23.12.2025 को जवाब पेश किया जिसे पत्रावली मे शामिल मिशल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब मे यह कथन किया की प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत कथन अंकित किए है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बरान 932/645, 938/685, 936/687 की भूमि को कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग मे नही ली है और न ही अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर कोई रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी उसकी कृषि भूमि पर खसरा संख्या 1064/657, 1066/658, 1069/686 व 690 की भूमि पर से आता जाता है और उपयोग मे ले रहा है और उपरोक्त रास्ता निकटतम दुरी पर है। प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 एक को हैरान परेशान करने और उसकी कृषि भूमि को अनुपयोगी बनाने के लिए प्रस्तुत किया है।

इस न्यायालय मे दिनांक 10.01.2025 को विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) की उपधारा (1) राज. काश्त. अधि. 1955 पर इस न्यायालय में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 और अप्रार्थी संख्या 2 दो स्टेट पैरोकार सरकार की अन्तिम बहस रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार ने न्यायालय में हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) राज. काश्त. अधिनियम पर पर वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही की अन्तिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी संख्या 1 एक द्वारा

**लगातार.....5**

प्रस्तुत जवाब, अप्रार्थी संख्या 2 दो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब, पक्षकारान द्वारा फार्म न. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 213 खसरा संख्या 648 की जमाबन्दी संवत 2073 से 2076, अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बरान क्रमशः 932/645, 938/685, 936/687 की जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 राजकीय बिलानाम भूमि खसरा संख्या 690 की जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 आस पडोस की कृषि भूमि को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस, सलग्न नक्शा ट्रेस, प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व उनके संयुक्त खातेदारान की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु दर्शाते हुए रास्ते की भूमि का नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के आधार पर प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि मे कृषि कार्य हेतु आने जाने, मवेशी बैलगाडी व ट्रेक्टर लाने ले जाने, फसल बोने, सिचाई कार्य हेतु रास्ते का अभाव होना सिद्ध है प्रार्थी के खातेदारी भूमि मे जाने के लिए राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है इस कारण नियमानुसार राशी अदा किए जाने पर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है अतः तहसीलदार सिरोही द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाए प्रस्तावित रास्ते की भूमि को वैकल्पिक रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बरान क्रमशः 932/645, 938/685, 936/687 और राजकीय बिलानाम भूमि खसरा संख्या 690 की कृषि भूमि में से 15 फिट चौडा और नाप अनुसार लम्बे रास्ते की मांग की है। खसरा संख्या 932/645, 938/685, 936/687, और राजकीय बिलानाम भूमि खसरा संख्या 690 की कृषि भूमि मे से 1340 वर्ग मीटर = 0.1340 हेक्टेयर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी के लिए रास्ते के रूप में काम आवेगा। प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या खसरा संख्या 690 मे से लम्बाई × चौडाई = 60 × 5 = 300 वर्ग मीटर ( बिलानाम भूमि मे से ) खसरा संख्या 936/687 मे से 55 × 5 = 275 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 938/685 मे से 3 × 5 = 15 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 932/645 मे से 150 × 5 = 750 वर्ग मीटर अर्थात कुल क्षैत्रफल = 300 वर्ग मीटर (बिलानाम ) + 1040 ( श्री शान्तिलाल पुत्र नथमलजी घांची निवासी सिरोही की खातेदारी भूमि ) = 1340 वर्ग मीटर = 0.1340 हेक्टेयर भूमि गैरमुमकीन सार्वजनिक रास्ते के लिए स्वीकृत की जाती है। प्रस्तावित उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक रास्ते के लिए राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की जावे। उक्त स्वीकृत की गई रास्ते की भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है।

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग

**लगातार.....6**

के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 कि उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और
(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 एक व 2 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बरान खसरा संख्या 690 मे से लम्बाई × चौडाई = 60 × 5 = 300 वर्ग मीटर ( बिलानाम भूमि मे से ) खसरा संख्या 936/687 मे से 55 × 5 = 275 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 938/685 मे से 3 × 5 = 15 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 932/645 मे से 150 × 5 = 750 वर्ग मीटर अर्थात कुल क्षैत्रफल = 300 वर्ग मीटर (बिलानाम ) + 1040 ( श्री शान्तिलाल पुत्र नथमलजी घांची निवासी सिरोही की खातेदारी भूमि ) = 1340 वर्ग मीटर = 0.1340 हेक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में उक्तानुसार कीमत अवधारित की जाकर प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित उक्त कृषि भूमि के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 1 एक और अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट को उपरोक्त राशि का भूगतान करने पर तहसीलदार सिरोही को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गै.मु.रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

( हरि सिंह देवल )
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

( हरि सिंह देवल )
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)